वेब परिचालन द्वारा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन,- 14 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavisya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Palace, New Delhi -110066

www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या : वैलफेयर 2 (1) 24वीं बैठक/2014/24064 दिनांक : 13 FEB 2014

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
अध्यक्ष, क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समिति,
(क्षे.भ.नि.आ. (प्र.से.प्र.) मुख्यालय सहित)

विषय : दिनांक 16.01.2014 को हुई क.भ.नि. केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति की 24वीं बैठक के कार्यवृत्त ।

महोदय,

मुझे एतद्द्वारा दिनांक 16.01.2014 को मुख्यालय, नई दिल्ली में संपन्न केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति की 24वीं बैठक के कार्यवृत्त, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/अध्यक्ष, कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति द्वारा भली-भांति अनुमोदित, सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने के निदेश हुए हैं । इस संबंध में आपकी टिप्पणियां, यदि कोई हैं तो कृपया सूचित करें ।

कृपया पावती दें ।

भवदीय,

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

(उदय बक्शी)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मा.सं.प्र.)

सचिव, क.भ.नि. केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति

प्रतिलिपि :

1. क.भ.नि. केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति के सभी सदस्य ।
2. क.भ.नि. केन्द्रीय खेल संवर्द्धन बोर्ड के सभी सदस्य ।
3. सभी प्रभारी अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय ।
4. सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
6. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी ।
7. निदेशक (नाटरस)
8. सभी उप निदेशक सतर्कता/लेखापरीक्षा/हिन्दी
9. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान ।
10. मुख्यालय के सभी अधिकारी ।
11. सभी आंचलिक लेखा परीक्षा पार्टियां
12. महासचिव, अखिल भारतीय क.भ.नि. स्टाफ फेडरेशन ।
13. महासचिव, अखिल भारतीय अधिकारी एसोसिएशन ।
14. क्षे.भ.नि.आ., एन.डी.सी. को इसे क.भ.नि. वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

(हरीश मखीजा)
कल्याण अधिकारी एवं
सहायक सचिव, सी.एस.डब्ल्यू.सी.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066
www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

क.भ.नि. केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति (क.भ.नि. स्टाफ कल्याण निधि) की 24वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक **16.01.2014**

समय **4.00 अपराह्न**

स्थान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली ।

उपस्थित

क्र.सं.	**नाम एवं पदनाम**	**के रूप मे भाग लिया**
1.	श्री के.के जालान, भा.प्र.से., के.भ.नि.आ.	अध्यक्ष
2.	श्री वी.एन. शर्मा, अपर के.आ.	उपाध्यक्ष
3.	श्री संजय कुमार, मु.सर्त.अधि.	सदस्य
4.	श्री गौतम दीक्षित, क्षे.भ.नि.आ. (प्र.से.प्र.)	सदस्य
5.	श्री शंकर पाठक, क्षे.भ.नि.आ. थाणे	सदस्य
6.	श्री संजय कुमार, क्षे.भ.नि.आ. (वित्त एवं लेखा.)	सदस्य
7.	श्री उदय बक्शी, क्षे.भ.नि.आ. (मा.सं.प्र.)	सचिव
8.	श्री हरीश मखीजा, स.नि. (लेखापरीक्षा) /कल्याण अधिकारी	सहायक सचिव
9.	श्री एम के श्रीवास्तव, स.भ.नि.आ. (बैंकिंग)	खजांची
10.	श्री के. प्रशांत, क्षे.भ.नि.आ.-।। (केरल)	सदस्य
11.	श्री संजय पाण्डे, क्षे.भ.नि.आ.-।। (बिहार)	सदस्य (पू.क्षे.)
12.	श्री वी.डी. देसाई, प्रवर्तन अधिकारी (सूरत)	सदस्य (प.क्षे.)
13.	श्री सुनील कुमार टौरा, लेखा अधिकारी	सदस्य (उ.क्षे.)
14.	श्री मंजूर अहमद, वरिष्ठ सा.सु.स.	सदस्य (द.क्षे.)
15.	श्री विजय शर्मा, महासचिव. अ.भा.क.भ.नि. स्टाफ फेडरेशन	सदस्य

बैठक के प्रारंभ में सचिव, क.भ.नि. केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति ने अध्यक्ष एवं समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए, आज की बैठक में उपस्थित सभी का औपचारिक परिचय दिया ।

इसके पश्चात् कल्याण अधिकारी-सह-सहायक सचिव द्वारा वर्ष 1990 में के.न्या.बो. के अनुमोदन से केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति के गठन एवं गतिविधियों के विषय में संक्षेप में परिचय दिया गया ।

तत्पश्चात् कार्यसूची की मदों पर चर्चा आरंभ की गई जिसका विवरण निम्ननुसार है:

मद संख्या 1

26.04.2013 को हुई केन्द्रीय कल्याण समिति की 23वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

26.04.2013 को हुई केन्द्रीय कल्याण समिति की २३वीं बैठक के कार्यवृत्त कार्यालय के पत्र संख्या कल्याण 2(1) 23वीं बैठक/2013/1674 दिनांक 10.05.2013 द्वारा परिचालित किए गए थे । तथापि श्री के. प्रशांत, क्षे.भ.नि.आ.-।। (केरल) द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा पिछली बैठक में उठाए गए कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर अवार्ड देने संबंधी मामले को कार्यवृत्त में सम्मिलित नहीं किया गया है । सदस्य को सूचित किया गया कि इस मामले पर आज की बैठक में चर्चा की जा सकती है । अत: उपर्युक्त तथ्य को नोट करते हुए पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई ।

मद संख्या 02

26.04.2013 को हुई पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट ।

पात्रता के अनुसार दौरे पर अधिकारियों को चुनिंदा होटलों में आवास उपलब्ध करने संबंधी संभावनाओं का पता लगाने के संबंध में वित्तीय सलाहकार एवं मु.ले.अधि./मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचीबद्ध होटलों की सूची की जांच कर ऐसी ही परिस्थितियों में उपयोग में लाई जा सकती है ।

समिति द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णय पर कृत कार्रवाई को नोट किया गया ।

मद संख्या 3

सचिव, क.भ.नि. स्टाफ कल्याण समिति द्वारा 31.12.2013 तक कल्याण गतिविधियों की रिपोर्ट ।

सचिव द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । क.भ.नि केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति द्वारा कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्य की रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया ।

अपनी रिपोर्ट में सचिव द्वारा आने वाले समय में समिति के प्रशासन से संबंधी तीन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया ।

चर्चा का पहला विषय, क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण बोर्डों की गतिविधियों / कार्यप्रणाली की मॉनीटरिंग की आवश्यकता एवं माध्यम था । इस मुद्दे पर अधयक्ष ने इच्छा जताई कि केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति संबंधित क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों की गतिविधियों की मॉनीटरिंग हेतु मानक प्रोफार्मा निर्धारित कर सकती है ।

दूसरा मुद्दा, केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति एवं क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों के बीच रोकड़ के लेनदेन को नियमित करने हेतु एक तंत्र के निर्माण के संबंध में था ताकि संबंधित खातों में शेष शून्य रहे । इसका उद्देश्य था कि कल्याण समितियों के खाते में बढ़ी मात्रा में धनराशि बेकार न पड़ी रहे । इस संबंध में अध्यक्ष ने वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी को इस मामले में देखने एवं अपनी रिपोर्ट फाईल में प्रस्तुत करने को कहा ।

तीसरा मुद्दा, केन्द्रीय कल्याण समिति के पुन: सर्जन विशेषत: हाल ही में संगठन के भीतर कैडर पुनर्संरचना के कारण बदलाव के मद्देनजर, पदेन सचिव के अपग्रेडेशन की आवश्यकता को पूरा करने के संबंध में था । जब तक पुनर्संरचना मुद्दे को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक इस मुद्दे को स्थगित कर दिया गया ।

मद संख्या 4

<u>वर्ष 2012-2013 हेतु क.भ.नि. केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे पर नोट</u>

सचिव द्वारा प्रप्तियां एवं भुगतान विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए । समिति को सूचित किया गया कि इन लेखों की लेखापरीक्षा संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की गई है । इस मुद्दे पर अध्यक्ष ने इच्छा जताई कि क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समिति के लेखों को प्रत्येक दो वर्ष में एक बार वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी को दिखाया जाए ।

इस टिप्पणी के साथ क.भ.नि. केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति द्वारा वर्ष 2012-2013 के प्रप्ति एवं भुगतान लेखे को अंगीकार एवं अनुमोदन किया गया ।

मद संख्या 5

<u>गंभीर बीमारी के मामले में वित्तीय सहायता का अनुसमर्थन</u>

सचिव ने समिति को कार्यसूची की मद में सूचीबद्ध कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को दी गई वित्तीय सहायता के विषय में सूचित किया । उन्होंने समिति को उत्तराखंड राज्य में 26.06.2013 को आई प्राकृतिक आपदा के दौरान केन्द्रीय कल्याण समिति द्वारा की गई विशेष पहल के विषय में भी सूचित किया । अध्यक्ष ने विभिन्न अंचलों से आए सभी सदस्यों से जानना चाहा कि क्या कोई योग्य मामला वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति के पास लंबित है ? सभी अंचलों के सदस्यों द्वारा एकमत से सूचित किया गया कि ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है ।

तथापि, क्षे.भ.नि.आ. (वित्तीय सलाहकार), मुख्यालय ने श्री अनिमेष मिश्रा, क्षे.भ.नि.आ.-I को उनकी गंभीर बीमारी के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान न किए जाने के मामले को उठाया ।

सहायक सचिव ने समिति को सूचित किया कि वित्तीय सहायता उन्हें पहले ही एक बार दे दी गई थी । दूसरी बार इसे तब अस्वीकार कर दिया गया जब पहले अदा कर दिए गए बिलों को दूसरे दावे में देखा गया । समिति ने इस बात को नोट किया । तथापि यह निर्णय लिया गया कि दूसरे दावे के प्रत्येक बिल की छानबीन की जाए तथा जिन बिलों का पहले भुगतान नहीं किया गया है, अन्यथा पात्र होते हुए भी सहायता के लिए, उनकी जांच की जाए ।

इस मद का उपर्युक्त टिप्पणी के साथ अनुसमर्थन कर दिया गया ।

मद संख्या 6

<u>गोवा में हॉलीडे होम करार का नवीकरण</u>

सहायक सचिव ने समिति को सूचित किया कि किराया बढ़ाकर रू. 60,000/- प्रतिमाह कर दिए जाने की शर्त पर हॉलीडे होम की मालकिन आरंभ में हॉलीडे होम के लिए किराया करार की अवधि बढ़ाने को इच्छुक थी, जबकि सम्पत्ति किराए पर लेते समय जो करार हुआ था, उसके अनुसार 15% की दर से किराया-वृद्धि पर हस्ताक्षर किए गए थे । आगे, क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी से उचित किराया प्रमाणपत्र मंगवाया गया । सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने उचित किराया रू. 63,222/- प्रतिमाह निर्धारित किया । गोवा हॉलीडे होम में इस बात का पता लगाने का प्रयास किया गया कि गोवा हॉलीडे होम में सामान्यत: कितने समय कमरे भरे रहते हैं । क्षे.भ.नि.आ., गोवा द्वारा प्रस्तुत इससे संबंधित रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि यह पर्याप्त रूप से भरा रहता है ।

समिति को यह भी सूचित किया गया कि हॉलीडे होम की मालकिन ने किराया राशि की अपनी मांग में कमी पर भी विचार किया है । चर्चा के पश्चात्, समिति ने दिनांक 06.10.2013 से अगले पांच वर्षों की अवधि हेतु रू. 54000/- प्रतिमाह के किराए के साथ हॉलीडे होम करार के नवीकरण का अनुमोदन कर दिया ।

तथापि, अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि क्षे.भ.नि.आ., गोवा किसी वैकल्पिक व सुविधाजनक स्थान (आवास) का पता लगाकर अगली बैठक में उपयुक्त निर्णय लेने के लिए एक ब्यौरेवार प्रस्ताव समिति को अग्रेषित करें ।

मद संख्या 7

<u>क्षे.भ.नि.आ., दिल्ली (दक्षिण) द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव</u>

सहायक सचिव ने क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण) द्वारका के परिसर में बने अतिथि गृह के सुधार एवं रख-रखाव के लिए रू. 20.00 लाख के बजट की मंजूरी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

समिति ने दिल्ली में अच्छी हालत में अतिथि गृह की जरूरत पर सिद्धान्तत: सहमति जताई । चूंकि द्वारका में निर्मित भवन भी उपलब्ध है, इसलिए अतिथि गृह के रूप में इसके इस्तेमाल का भी अनुमोदन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी सुख-सुविधाओं से सम्पन्न यह अतिथि गृह मुख्यालय के नियंत्रण में हो तथा द्वारका में अतिथि गृह के सुधार तथा सतत् रख-रखाव हेतु नीति/प्रक्रिया बनाने का सुझाव दिया।

अत: उक्त अतिथि गृह को शुरू करने से संबंधित सभी पहलुओं / मामलों पर निर्णय लेने तथा इस पर होने वाले व्यय की सिफारिश करने के लिए क्षे.भ.नि.आ. (एच.आर.एम.), क्षे.भ.नि.आ. (ए.एस.डी.) तथा क्षे.भ.नि.आ.दिल्ली (दक्षिण) की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि अतिथि गृह का सुविधा प्रबंधन किसी व्यावसायिक एजेंसी को आउटसोर्सिंग करने की संभावना का भी पता लगाया जाए।

मद संख्या 8

प्रत्येक कार्यालय में क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार के लिए प्रस्ताव

सचिव, केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति ने प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर अर्थात् प्रथम नवंबर को प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव रखा। समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का सिद्धान्ततः अनुमोदन किया। इस बात पर सहमति हुई कि चयन हेतु सुपरिभाषित पैरामीटरों का निर्धारण करने के पश्चात् क्षेत्रीय आयुक्त तीन सदस्यीय समिति का गठन करें, जो उनके क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी निश्चित करेगी तथा सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी को रू. 1000/- की लागत वाले स्मृतिचिन्ह के साथ रू. 5000/- का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाए।

मद संख्या 9

महिला दिवस समारोह में शामिल किए जाने वाले क्रियाकलाप

सहायक सचिव ने केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति को सूचित किया कि समिति की 23वीं बैठक में प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस प्रयोजन के लिए रू. 20,000/- के वार्षिक बजट का भी अनुमोदन किया गया था। तथापि, पिछली बैठक में महिला दिवस मनाने के लिए क्रियाकलापों को परिभाषित नहीं किया गया।

इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के पश्चात्, समिति ने कार्यसूची का अनुमोदन कर दिया।

अत: यह निर्णय लिया गया कि आगे से प्रत्येक वर्ष बजट सीमा के भीतर निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन महिला दिवस मनाने के लिए किया जा सकता है :

1. महिलाओं के स्वास्थय संबंधी मुद्दों पर व्याख्यान / गोष्ठी।
2. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों / खेलों का आयोजन करना।
3. हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करना।
4. प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करना।

5. तनाव प्रबंधन / योग शिविर का आयोजन करना ।
6. कार्यालय, महिला कर्मचारियों के बहुमत की पसंद के अनुसार (महिला दिवस) मना सकता है ।
7. शिल्प / पाक कला / म्यूज़िकल चेयर ।
8. काव्य, गीत तथा नृत्य

मद संख्या 10

पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने पर पुरस्कार

सहायक सचिव ने समिति को बताया कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों से इस आशय के संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि उन्होंने उन विषयों में पी.एच.डी. डिग्रियां हासिल कर ली है, जिनका संगठन के कामकाज से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता । उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि श्री एस.के. ठाकुर, अपर के.भ.नि.आ. (उ.प्र. एवं बिहार) तथा श्री भवेश मिश्रा, अनुभाग अधिकारी (मुख्यालय), जिन्होंने सेवा में रहकर पी.एच.डी. डिग्री हासिल की है, को रू. 10000/- (दस हजार रूपये केवल) की राशि मंजूर की जाए ।

समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया । यह भी निर्णय लिया गया कि इस आशय का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया जाए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी भी वर्तमान कर्मचारी / अधिकारी द्वारा पी.एच.डी. डिग्री पूरी करने के लिए एक पुरस्कार योजना बनाई जाए, जिसकी अधिकतम पुरस्कार राशि सीमा रू. 10000/- हो तथा जो योजना के अंतर्गत विनियमित की जा सकने वाली किन्हीं अन्य शर्तों के अधीन हो ।

मद संख्या 11

क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों का निरीक्षण

सचिव, केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति ने समिति को क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों की गतिविधियों तथा कार्यप्रणाली की मॉनीटरिंग / निरीक्षण के लिए तंत्र बनाने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया । उन्होंने यह भी सूचित किया कि कुछ क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों ने विकासात्मक गतिविधियों पर बजट में निर्धारित धनराशि का उपयोग नहीं किया है । इसके परिणामस्वरूप, कैंटीनों, अतिथि गृहों आदि की हालत खराब हुई है ।

समिति ने निर्णय लिया कि कल्याण अनुभाग, केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति, मुख्यालय अध्यक्ष के अनुमोदन से संबंधित क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों की गतिविधियों को मॉनीटर करने के लिए एक मानक प्रपत्र बना सकता है ।

मद संख्या 12

पिकनिक अथवा भ्रमण हेतु सहायता की स्वीकृति

सहायक सचिव ने कार्यसूची के मद के विषय में बताया । महासचिव, क.भ.नि. स्टाफ फेडरेशन ने यह कहकर प्रस्ताव का स्वागत किया कि भ्रमण पर जाने से स्टाफ सदस्यों में ऊर्जा का संचार होगा तथा उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी ।

काफी विचार-विमर्श के बाद, केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति ने सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की, कि क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समिति द्वारा इस शर्त पर पिकनिक अथवा भ्रमण की व्यवस्था की जा सकती है कि कुल व्यय के 75 प्रतिशत का वहन कर्मचारी द्वारा किया जाए तथा 25 प्रतिशत को क.भ.नि. केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति द्वारा बजट शीर्ष "अन्य गतिविधि" के अंतर्गत अनुदान के रूप में दिया जाए ।

अध्यक्ष ने कहा कि इस संबध में एक विस्तृत योजना बनाई जाए जिसमें यह शर्त रखी जाए कि क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समिति द्वारा केवल अवकाश के दिन ही पिकनिक/भ्रमण का कार्यक्रम बनाया जाए तथा यह एक दिन से ज्यादा का न हो। विस्तृत योजना को अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु फाईल पर प्रस्तुत किया जाए ।

मद संख्या 13

राष्ट्रपति पुरस्कार पाने पर नकद पुरस्कार/मानदेय

समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को अध्यक्ष के निर्णय हेतु अलग से फाईल पर प्रस्तुत किया जाए ।

मद संख्या 14

स्टाफ मनोरंजन क्लब के गठन हेतु प्रस्तावित मानक

सहायक सचिव ने प्रस्ताव के विषय में बताया । उन्होंने स्टाफ मनोरंजन क्लब के गठन हेतु मानकों की आवश्यकता के विषय में सूचित किया । तथापि, समिति ने निर्णय लिया कि इस मामले की अलग से जांच की जाए तथा अध्यक्ष के निर्णय हेतु फाईल पर प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या 15

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मद

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मद श्रेणी के अंतर्गत मदों पर चर्चा करते समय समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1) <u>सेवानिवृति विदाई समारोह</u>

महासचिव, अ.भा.क.भ.नि. स्टाफ फेडरेशन ने सिमति को सूचित किया कि 11.05.2012 से सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 10,000/- रू. तक का स्मृति-चिह्न भेंट किया जाता है किन्तु लगातार बढ़ती कीमतों के कारण यह राशि पर्याप्त नहीं है। क्षे.भ.नि.आ. (प्र.से.प्र.) ने बताया कि मुख्यालय में सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को एम.एम.टी.सी. की 10,000/- रू. की चांदी की प्लेट दी जाती है । महासचिव, अ.भा.क.भ.नि. स्टाफ फेडरेशन ने यह भी सुझाव दिया कि 10,000/- रू. का स्मृति-चिह्न देने की बजाय केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति को 300 ग्रा. तक के वजन वाला चांदी का सिक्का/प्लेट स्मृति-चिह्न के रूप में देना चाहिए जैसा कि क.रा.बी.नि. में दिया जाता है।

अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले की, क.रा.बी.नि. की योजना से जोड़कर जांच की जाए तथा निर्णय हेतु फाईल पर प्रस्तुत किया जाए ।

2) <u>स्वास्थ्य जांच सुविधा</u>

श्री के. प्रशांत, क्षे.भ.नि.आ.-II, सदस्य, केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति ने सूचित किया कि व्यापक स्वास्थ्य जांच हेतु 1,500/- रू. की वर्तमान राशि पर्याप्त नहीं है तथा इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ।

विस्तार में चर्चा के पश्चात् तदनुसार, समिति ने पुरूष कर्मचारी/महिला कर्मचारी के पति की स्वास्थ्य जांच की 1,500/- रू. की सीमा को 2000/- रू. (दो हजार रू. मात्र) तथा महिला कर्मचारी/पुरूष कर्मचारी की पत्नी हेतु 2,200/- रू. (दो हजार दो सौ रू. मात्र) तक 50-55 वर्ष की आयु के बीच दो बार तथा 56-60 वर्ष की आयु के बीच हर वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया । तथापि, प्रशासनिक खाते से इसी स्वास्थ्य जांच सुविधा का लाभ उठा रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के पास इनमें से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प रहेगा ।

3) <u>कैंटीन</u>

महासचिव, अ.भा.क.भ.नि. स्टाफ फेडरेशन ने समिति को सूचित किया कि बहुत से कार्यालयों में कैंटीन की सुविधा नहीं है तथा जहां सुविधा उपलब्ध है, वहां यह संतोषजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय ने यह इच्छा व्यक्त की कि क.भ.नि.सं. का प्रत्येक कार्यालय, कार्यालय परिसर में अथवा उसके समीप ही कैंटीन की संभावना का पता लगाए तथा यहां तक कि आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं तथा जब और जैसी आवश्यकता हों, बर्तन आदि भी उपलब्ध करवाएं । इस संबंध में प्रभारी अधिकारी, कल्याण प्रकोष्ठ, मुख्यालय को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजें।

4) <u>स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा क.भ.नि.सं. स्थापना दिवस समारोह</u>

कल्याण अधिकारी द्वारा क.भ.नि. स्थापना दिवस (प्रत्येक वर्ष 1 नवम्बर को), गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के सुझाव पर अध्यक्ष महोदय ने चाहा कि प्रस्ताव की जांच हो तथा इसे अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन हेतु फाइल पर प्रस्तुत किया जाए ।

5) <u>अतिथि गृह</u>

श्री मंजूर अहमद, सदस्य केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति ने सूचित किया कि अधिकांश अतिथि गृह जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं तथा अतिथि गृह के रखरखाव में सुधार किए जाने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय ने चाहा कि सभी अतिथि गृह आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित हों तथा केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति अतिथि गृहों के रखरखाव हेतु पर्याप्त बजट आंबटित करे । अतिथि गृहों के अनुरक्षण की संपूर्ण जिम्मेदारी क्षेत्रीय आयुक्तों की होगी ।

6) <u>शिमला स्थित हॉलीडे होम</u>

सचिव, केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति ने समिति को सूचित किया कि इस मामले पर सी.एस.डब्ल्यू.सी. की पिछली बैठक में भी चर्चा की गई थी । इसके पश्चात् क्षेत्रीय आयुक्त शिमला ने सूचित किया है कि हिमाचल टूरिज़्म की होटल सुविधा में दो कमरे लीज़ पर लेना अत्यधिक लागत के कारण संभव नहीं है । क्षेत्रीय आयुक्त शिमला ने दो रिक्त स्टाफ क्वाटरों को हॉलीडे होम में परिवतर्तित करने का भी अनुरोध किया ।

समिति को आगे सूचित किया गया कि हॉलीडे होम के संबंध में ज़िला न्यायालय में अधिकार खोने के पश्चात् क.भ.नि.सं. ने माननीय शिमला उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की है।

अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि तुरंत एक वैकल्पिक स्थान का पता लगाया जाए तथा वर्तमान स्थान को खाली किया जाए । क्षेत्रीय आयुक्त, शिमला को प्रस्तावों/वैकल्पिक स्थानों की जांच करनी है तथा एक विस्तृत प्रस्ताव तुरंत अग्रेषित किया जाए ।

7) <u>क्रेच सुविधा</u>

श्रीमती वीणा देसाई, प्रवर्तन अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत, सदस्य, केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति ने समिति से क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों को क्रेच सुविधा उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया । इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया । अध्यक्ष महोदय ने चाहा कि क्रेच सुविधा प्रदान करने के लिए एक मसौदा योजना फाइल पर विचारार्थ प्रस्तुत की जाए ।

8) <u>छात्रवृति योजना</u>

श्री के. प्रशांत, क्षे.भ.नि.आ. -II, सदस्य, सी.एस.डब्ल्यू.सी. ने छात्रवृति योजना में डिप्लोमा कोर्स तथा अन्य समकक्ष कोर्स को शामिल करने का सुझाव दिया जिससे कि कर्मचारी/कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृति का लाभ प्रदान किया जा सके ताकि वे अपनी शिक्षा को जारी रखने में सक्षम हो सकें।

इस मामले पर विचार-विमर्श के पश्चात्, अध्यक्ष महोदय ने चाहा कि एक समेकित छात्रवृति योजना विचारार्थ फाइल पर प्रस्तुत की जाए।

बैठक, धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई ।

Through Web Circulation

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार /

Ministry of Labour & Employment, Govt. of India

No.14, Bhavishya Nidhi Bhavan, Bhikaiji Cama Place, New Delhi 110 066

No. Welfare 2(1)24th meeting/2014/24064 Dated 13 FEB 2014

To

All Regional Provident Fund Commissioners,
President, Regional Staff Welfare Committee,
(including RPFC(ASD) Headquarters).

Subject : Minutes of 24th meeting EPF Central Staff Welfare Committee held on 16-1-2014.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the minutes of the 24th meeting of the EPF Central Staff Welfare Committee held at Head Office, New Delhi on 16-1-2014 duly approved by the Central Provident Fund Commissioner / President, EPF Central Staff Welfare Committee for information and necessary action. Your comments, if any, may please be intimated.

Please acknowledge the receipt

Yours faithfully,

12/2/2014

(Uday Baxi)
Regional Provident Fund Commissioner (HRM)
Secretary, EPF Central Staff Welfare Committee.

Encl.: As above

Copy to :

1. All members of EPF Central Staff Welfare Committee.
2. All members of EPF Central Sports Promotion Board.
3. All Officer-in-Charge, SROs.
4. All Additional Central P F. Commissioners.
5. Chief Vigilance Officer.
6. FA & CAO
7. Director (NATRSS).
8. All Dy. Directors Vigilance/Audit/Hindi.
9. All Zonal Training Institutes.
10. All Officers in Head Office.
11. All Zonal Audit Parties.
12. Secretary General, All India EPF Staff Federation.
13. Secretary General, All India Officers Association.
14. Dy. Director (OL) with the spare copy for Hindi Version.
15. RPFC, NDC with the request to upload the same on EPF Website.

(Harish Makhija)
Welfare Officer &
Assistant Secretary, CSWC

Employees' Provident Fund Organization
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Head Office
Bhavishya Nidhi Bhawan,
14, Bhikaji Cama Place,
New Delhi-110 066.

MINUTES OF THE 24th MEETING OF THE EPF CENTRAL STAFF WELFARE COMMITTEE (EPF STAFF WELFARE FUND).

Date **16-1-2014**

Time **4.00 p.m.**

Venue Employees' Provident Fund Organization, Head Office, New Delhi.

PRESENT

S. No.	Name & Designation	Attended in the capacity of
1.	Shri K.K. Jalan, IAS, CPFC	President
2.	Shri V.N. Sharma, Addl. CPFC	Vice-President
3.	Shri Sanjay Kumar, CVO	Member
4.	Shri Gautam Dixit, RPFC(ASD)	Member
5.	Shri Shankar Pathak RPFC(I) Thane	Member
6.	Shri Sanjay Kumar, RPFC(F&A)	Member
7.	Shri Uday Baxi, RPFC(HRM)	Secretary
8.	Shri Harish Makhija, A.D.(Audit)/Welfare Officer	Assistant Secretary
9.	Shri M.K. Srivastava, APFC(Banking)	Treasurer
10.	Shri K. Prasant, RPFC-II (Kerala)	Member
11.	Shri Rajesh Pandey, RPFC-II (Bihar)	Member(EZ)
12.	Smt. V.D. Desai, Enf. Officer(Surat)	Member(WZ)
13.	Shri Sunil Kumar Toura, Accounts Officer	Member(NZ)
14.	Shri Manzoor Ahmed, Sr. SSA	Member(SZ)
15.	Shri Vijay Sharma, Secretary General, AIEPFSF	Member

At the outset, the Secretary, EPF Central Staff Welfare Committee welcomed the President and all the members of the Committee followed by a formal introduction of all those present in today's meeting.

Thereafter, a brief introduction about the inception of the Central Staff Welfare Committee through the approval of the CBT during the year 1990 and its activities was done by the Welfare Officer-cum-Assistant Secretary.

उदय बक्शी
क्षेत्रीय भ.नि.
Regional P.F. Commissioner

Subsequently, the agenda items were taken up for discussions and the deliberations are as detailed below:

ITEM NO. 1

Confirmation of Minutes of the 23rd meeting of Central Staff Welfare Committee held on 26-4-2013.

The minutes of the 23rd meeting of EPF Central Staff Welfare Committee held on 26-4-2013 were circulated vide Office letter no. Welfare 2(1) 23rd meeting/2013/1674 dated 10-5-2013. Shri K. Prashant, R.P.F.C.-II Kerala, however, intimated that the issue regarding grant of award to the employees on acquiring of higher qualification, which was raised by him in the last meeting has not been included in the minutes. It was informed to the member that this issue can be discussed again in today's meeting. Thus, after noting the point raised as above, the minutes of the last meeting were confirmed.

ITEM NO. 2

Action taken report on the decisions of the last meeting held on 26-4-2013.

On the issue of exploring possibility for providing accommodation, as per their entitlement, to the visiting officials in the selected hotels, FA & CAO/CVO informed that the list of empanelled hotels as uploaded on the website of the Income Tax can be examined for its utilization in similar circumstances.

The Committee noted the action taken on the decisions in the last meeting.

ITEM NO. 3

Report of the Secretary, EPF Central Staff Welfare Committee on the Welfare Activities as on 31-12-2013.

The Secretary presented the report. The EPF Central Staff Welfare Committee noted the contents and expressed satisfaction on the work done in the field of Welfare Activities.

In his report, the Secretary brought forward three important issues regarding administration of the Committee in the time to come.

First issue that came on the discussion was the need and the method for monitoring the activities/ working of the Regional Staff Welfare Boards. On this matter, the President desired that the Central Staff Welfare Committee could devise a standard proforma for monitoring the activities of the respective Regional Staff Welfare Committees.

उदय
क्षेत्रीय भ.नि.
Regional P.F.

The second issue was related to the devise a mechanism for regulating the cash flows between the Central Staff Welfare Committee and the Regional Staff Welfare Committees in order to keep the zero balance in respective accounts. This was meant to avoid a huge amount lying idle in the accounts of the Welfare Committees. In this connection, the President requested FA. & CAO to look into this aspect and submit his report on file.

The third issue was related to have a relook into the composition of the Central Staff Welfare Committee, specially addressing the need for the upgradation in the ex-officio Secretary in the light of recent changes due to cadre restructuring within the organization. This issue was deferred till the restructuring issue is settled.

ITEM NO. 4

Note on Receipt and Payment Accounts of EPF Central Staff Welfare Committee for the year 2012-2013.

The secretary produced the receipt and payment Account statement before the committee. It was informed to the committee that these accounts have been audited by the Internal Audit of the organization. On this issue, the President desired that Accounts of the Regional Staff Welfare Committees be shown to FA & CAO once in two years.

With this observation, the EPF Central Staff Welfare Committee adopted and approved the Receipt and Payment Accounts for the year 2012-2013.

ITEM NO. 5

Ratification of Financial Assistance in case of major illness

The Secretary informed the committee about the details of the financial assistance provided to the employees and their family members as listed in the agenda item. He also informed the committee about the special initiative taken by the Central Staff Welfare Committee during the natural tragedy that struck the state of Uttarakhand on 26.6.2013. The President desired to know from all the members coming from various zones whether any deserving case of financial assistance was pending with the Central Staff Welfare Committee. The members from all the zones unanimously informed about the nil pendency in such matter. However, RPFC (FA), Head Office raised the issue of non grant of Financial Assistance in case of his major illness to Shri Animesh Mishra, R.P.F.C-I.

The Assistant Secretary informed to the Committee that financial assistance was already granted to him once. It was rejected on the second occasion when bills already paid earlier were noticed in the second claim. The committee took note of this. However, it was decided that each bill of the second claim may be scrutinized and the bills not paid earlier be examined for assistance, if otherwise eligible.

The item was ratified with the above comment.

ITEM NO. 6

Renewal of Agreement of Holiday Home at Goa.

The Assistant Secretary informed the committee that the land lady of the Holiday Home, Goa was willing to extend the period for rental agreement for the Holiday Home initially if the rent was increased to Rs. 60,000/- per month, whereas as per agreement entered into while taking up the property initially, an enhancement of rent @ 15% was signed for. Further, a Fair Rent Certificate from CPWD was called for by the Regional Commissioner. The CPWD determined the fair rent to the tune of Rs. 63,222/- p.m. The Committee was also informed that an effort was made to find out the occupancy at the Goa Holiday Home. The report on occupancy submitted by RPFC, Goa revealed that occupancy was good.

The committee was also informed that the land lady has also considered the reduction in her demand for the rent amount. After a debate, the Committee approved the renewal of Agreement of Holiday Home at Goa with the rent of Rs.54,000/- per month w.e.f. 6-10-2013 for a further period of five years.

However, the President desired that RPFC, Goa must search for an alternative and suitable accommodation and forward a detailed proposal to the Committee for taking appropriate decision at the next meeting.

ITEM NO. 7

The proposal forwarded by RPFC, Delhi (South)

The Assistant Secretary introduced the proposal for sanction of budget of Rs. 20.00 Lakh for improvement and maintenance of Guest House situated at the premises of Regional Office, Delhi (South) Dwarka.

The committee agreed in principle on the need for a well-maintained guest house at Delhi. Since the constructed building is also available at Dwarka, the same was also approved for the use as the Guest house.

The President stated that this guest house with all amenities should be under the control of Head Office and suggested to decide the policy/procedure for improvement and sustained maintenance of the guest house at Dwarka.

Thus, a three members' Committee consisting of RPFC (HRM), RPFC (ASD) and RPFC, Delhi(South) was constituted to should decide all aspects/matters pertaining to the operationalisation of said Guest House and to recommend the expenditure to be incurred.

The President desired that possibility of outsourcing the facility management of Guest House to a professional agency be also explored.

ITEM NO. 8

Proposal for Best Employee Award for the Employee of EPFO in Each Office

The Secretary, Central Staff Welfare Committee moved a proposal for the introduction of Best Employee Award to be given away by each Regional Office on the occasion of Foundation Day Celebration i.e. 1st November of every year. The Committee unanimously approved the proposal in principle. It was agreed that all the Regional Commissioners should constitute a "Three Member" committee, which will decide the best employee in their Region and best employee be rewarded with cash award of Rs. 5,000/- and Memento costing upto **Rs.**1,000/- after laying down well defined parameters for selection after laying down the well-defined parameters for selection.

ITEM NO. 9

Activities to be included in Women day Celebration.

The Assistant Secretary informed the Central Staff Welfare Committee that the 23rd meeting of the Committee decided to celebrate Women's day every year on 8th March. An annual budget of Rs. 20,000/- was also approved for this purpose. However, in the last meeting, the activities for celebrating Womens' Day were not defined.

The committee after deliberating upon this issue approved the agenda.

Hence, it was decided that henceforth, following activities can be organised in celebration of Women's Day every year, within the budgetary limit:

1. Lecture/seminar on Women Health issues
2. Organizing various cultural programme/Games
3. Organizing Hasya Kavi Sammelan
4. Organizing Quiz Competition
5. Organizing Stress Management/Yoga Camp
6. The Office may celebrate as per the choice of majority of Female Staff
7. Craft/Cooking/Musical Chair
8. Poetry, song and dancing.

ITEM NO. 10

Reward on acquiring PhD degree

The Assistant Secretary explained to the committee that references have been received from officers and staff who have acquired the PhD degree in the subject not having direct bearing on the working of the organization. He also requested that an amount of Rs. 10,000/-(Rupees Ten Thousand Only) may be sanctioned to Dr. S.K. Thakur, Addl. Central P.F. Commissioner (UP & BR) and Shri Bhavesh Mishra, Section Officer (Head Office) who obtained PhD degree while in service.

The Committee unanimously approved the proposal. It was also decided that a proposal may be submitted to the president to establish a reward scheme for completing PhD degree by any existing EPFO employee/officers, subject to maximum ceiling of Rs. 10,000/- and any other conditions that may be regulated under the scheme.

ITEM NO. 11

Inspection of Regional Staff Welfare Committees.

The Secretary, Central Staff Welfare Committee informed to the committee about the need for establishing a mechanism for monitoring/inspection of the activities of the functioning of the Regional Staff Welfare Committees. He also informed that some RSWC have not utilized the money available in the budgetary allocations towards the developmental activities. This has resulted into the bad condition of canteen, guest houses etc.

उदय बख्शी/UDAY BAKHSHI
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त
Regional P.F. Commissioner-I

The Committee decided that the Welfare Section, Central Staff Welfare Committee, Head Office could devise a standard proforma for monitoring the activities of the respective Regional Staff Welfare Committees with the approval of the President.

ITEM NO. 12

Grant of Aid for Picnic or Excursion Trips.

The Assistant Secretary introduced the agenda. The General Secretary, EPFSF welcomed the proposal saying that organization of an excursion trip would re-energize the staff members and the productivity would increase.

After much deliberations, the CSWC agreed in principle that the Picnic or excursion trips could be arranged by the Regional Staff Welfare Committees subject to the condition that 75 per cent of total expenditure will be borne by the employee and 25 percent will be given as Grant by EPF Central Staff Welfare Committee from the budget head "Other Activity".

The President desired that a detailed Scheme should be made out in this regard with the conditions that Picnic/Excursion Trip will be arranged by the Regional Staff Welfare Committee on a Holiday only and it should not be more than a One day Trip. The detailed Scheme be placed on file for approval of the President.

ITEM NO. 13

Cash Award/Honorarium for obtaining President of India's Award.

The Committee decided that the proposal be submitted separately on file for decision of the President.

ITEM NO. 14

Proposed Norms for Constitution of Staff Recreation Club

The Assistant Secretary introduced the proposal. He informed about the need for standard norms on the constitution of Staff recreation Clubs. However, The Committee decided that the matter be examined separately and be placed on file for the decision of the President.

Regional P.F. Commissioner

ITEM NO. 15

<u>Any other item with the permission of Chair.</u>

While discussing the items under the category of any other item with the permission of Chair following decisions were taken by the Committee:-

1) **RETIREMENT FAREWELL**

The Secretary General, AIEPF Staff Federation informed the Committee that since 11.05.2012 each retiring official was being presented memento upto Rs.10,000/- but this amount was not sufficient with ever-rising prices. The R.P.F.C. (ASD) informed that in Head Office, a silver plate costing Rs.10,000/- from MMTC is being presented to each retiring official. The Secretary General, All India EPF Staff Federation further suggested that instead of Memento of Rs. 10,000/-, the Central Staff Welfare Committee should give Memento of silver coin/plate weighing not more than 300 gms as given in ESIC.

The President desired that the matter may be examined linking it with the Scheme of ESIC and put up on file for decision.

2) **MEDICAL HEALTH CHECK UP FACILITY**.

Shri K. Prashant, R.P.F.C. II, Member, Central Staff Welfare Committee informed to the Committee that the present amount of Rs. 1,500/- was not sufficient for Comprehensive Health Check up and there was a need to increase the same.

After detailed discussions, the Committee decided to raise the ceiling from Rs.1,500/- to Rs. 2000/-(Rupees Two Thousand Only) for Medical Health check up for male employee/spouse of female employee and to Rs. 2,200/- (Rupees Two Thousand Two hundred Only) for female employee/spouse of male employee twice between the age group of 50-55 years and every year between 56-60 years accordingly. However, the Officers/officials enjoying the same Health Check-Up facility from Administration Account will have the option to chose either of the two Schemes.

3) **CANTEEN**

The Secretary General, AIEPFSF informed to the Committee that in many offices, there was no Canteen facility and where the facility was available, the same was below satisfaction level.

The President desired that each Office of EPFO should explore the possibility of having Canteen in or near the Office premises and even go for outsourcing and also provide utensils etc. as and when required. The officer-in-charge should forward a detailed proposal in this regard to Welfare Wing, Head Office.

4) **CELEBRATIONS OF INDEPENDENCE, REPUBLIC AND EPFO FOUNDATION DAY.**

On the suggestion made by Welfare Officer to celebrate EPF Foundation day (1st November of every year), Republic Day and Independence Day, the President desired that the proposal be examined and put up on file for the approval of the President.

5) **GUEST HOUSES**

Shri Manzoor Ahmed, Member Central Staff Welfare Committee informed that most of the Guest Houses are in shabby conditions and there was a need for improvement in maintenance of Guest House. The President desired that all the Guest Houses should be well equipped with basic facilities and Central Staff Welfare Committee should allocate sufficient budget for maintenance of Guest Houses. The Regional Commissioners shall have the overall responsibility to upkeep the Guest Houses.

6) **HOLIDAY HOME AT SHIMLA.**

The Secretary, Central Staff Welfare Committee informed to the Committee that the issue was also discussed in the last meeting of the CSWC. After that RC, Shimla has intimated that it was not feasible to lease two rooms in the Hotel facility of the Himachal Tourism due to exorbitant cost. The RC, Shimla has also requested to convert the two vacant staff quarters into the Holiday Home.

The Committee was further informed that after losing the occupancy right in District Court, the EPFO filled a Writ Petition in Hon'ble High Court Shimla.

The President desired that an alternate accommodation must be searched immediately and the existing accommodation be vacated. RC, Shimla has to examine the proposals/alternative accommodation and a comprehensive proposal be forwarded urgently.

उदय
क्षेत्रीय भ. नि.
Regional P.F. Commissioner

7) **CRECHE FACILITY**

Smt. Veena Desai, Enforcement Officer Regional Office, Surat, Member, Central Staff Welfare Committee requested the Committee to provide Crèche facility to the employees of the EPFO. This proposal was agreed to in principle. The Preseident desired that a draft scheme for providing crèche facility be submitted on file for consideration.

9) **SCHOLARSHIP SCHEME**

Shri K. Prashant, R.P.F.C. II, Member, CSWC, suggested to include Diploma Course and other similar courses in Scholarship Scheme so as to provide benefit of scholarship to the employee/wards of the employee for enabling them to pursue their education.

After deliberations on this issue, the President desired that a composite scholarship scheme be submitted on file for consideration.

The meeting ended with Vote of Thanks.

Regional P.F. Commissioner